राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प. 8(7)(1)निर्वा./2006/ 3179 जयपुर, दिनांक 11-6-18

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर्स) राजस्थान।

विषयः 33 जिलों में ईवीएम/वीवीपेट वेयर हाउसेज में अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन मय ब्राडबैण्ड की स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त (व्यय-5) विभाग, की आई डी संख्या 101802428 दिनांक 15.05.2018 द्वारा प्रदत्त सहमति एवं सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग की स्वीकृति संख्या प. 4(51)सा.प्र/3/2011 दिनांक 06.06.2018 की अनुसरण में राज्य के समस्त 33 (तैत्तीस) जिलों में ईवीएम/वीवीपेट वेयर हाउसेज में एक-एक अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन मय ब्राडबैण्ड लगाए जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय निम्न बजट मद से वहनीय होगा :-

2015	-	निर्वाचन
00	-	
102	-	निर्वाचन अधिकारी
(01)	-	निर्वाचन विभाग
[01]	-	संस्थापन व्यय
05	-	कार्यालय व्यय (स्टेट फण्ड)

उक्त अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन मय ब्राडबैण्ड की स्वीकृति तुरन्त प्रभाव से लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 की समाप्ति के एक माह पश्चात् तक के लिए दी जाती है। अतः लोकसभा आम निर्वाचन, 2019 की समाप्ति के एक माह पश्चात् से पूर्व ही उक्त अस्थायी टेलीफोन एवं मय ब्राडबैण्ड कनैक्शनों का सम्बन्ध विच्छेद कराया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णयानुसार उक्त अस्थायी टेलीफोनों पर बीएसएनएल से ब्रॉडबैण्ड प्लान 1199 ले लिया जावें। पत्र के साथ सामान्य प्रशासन विभाग की स्वीकृति संख्या प. 4(51)सा.प्र/3/2011 दिनांक 06.06.2018 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। कृपया स्थापित टेलीफोन नम्बर एवं ई-मेल आई-डी से विभाग को अवगत करावें।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

D:\CPM\FILES\8.7.1.2006.doc

राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

विषय– 33 जिलों में ईवीएम/वीवीपैट वेयर हाउसेज में अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :– आपकी आई डी संख्या 3037 दिनांक 21.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग में मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच एवं एफएलसी के दौरान आयोग के ईटीएस सॉफ्टवेयर पर मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से मशीनों की स्केनिंग करते हुए डेटा एन्ट्री हेतु 33 जिलों में ईवीएम/वीवीपैट वेयर हाउसेज में एक–एक अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन लगाने की सहमति एतत्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आईडी सं. 101802428 दिनांक 15.05.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(गौरव बजाड़)
संयुक्त शासन सचिव

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
निर्वाचन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

अ0शा0टीप क्रमांक प.4(51) साप्र./3/2011
जयपुर दिनांक :– 06/06/2018